

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री करण शर्मा निवासी गांव बुझादा पो0 कुंदवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा - प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 38/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 06.06.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/03 दिनांक 04.06.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री करण शर्मा निवासी गांव बुझादा पो0 कुंदवा तहसील देवगढ़ राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 07.07.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिसके संबंध में प्रार्थी को सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/02 दिनांक 02.05.2025 से रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दी गई है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम ऑनलाईन अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/आरटीआई/2025/02 दिनांक 02.05.2025 से रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

